बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

संकल्प

विषय : जिला नवाचार निधि की मार्गदर्शिका।

13वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली निधि से जिला नवाचार कोष का सृजन किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिलें को एक करोड़ रूपये का अनुदान की राशि दो किस्तों में वर्ष 2011-12 से विमुक्त की जायेगी। यदि किसी जिले द्वारा इस राशि का ससमय उपयोग करने हेतु कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उक्त स्थिति में जिले की राशि को अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह योजना "जिला नवाचार निधि" के नाम से जानी जायेगी।

उद्देश्य

2. इस कोष के निर्माण का मुख्य उद्देश्य जिले में आधारभूत संरचना प्रक्षेत्र की छोटी-मोटी कमियों को दूर कर सृजित पूँजीगत संरचनाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। यह राशि जिले को अनाबद्ध निधि के रूप में उपलब्ध होगी। इस राशि का उपयोग वैसी योजनाओं के लिए किया जा सकता है जिसके लिए सामान्यतया राज्य योजना अंतर्गत राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है।

निधि अंतर्गत अनुमान्य योजनाओं की प्रकृति

3.1 : आधारभूत संरचना प्रक्षेत्र में विद्यमान सृजित पूँजीगत एसेट्स, जिसका उपयोग किसी अल्प राशि की वजह से नहीं किया जा रहा है उसे जिला नवाचार कोष की राशि से संरचना को उपयोगी बनाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी अस्पताल में कोई डायोग्नोस्टिक मशीन कार्यरत न हो, अथवा किसी मध्यम् सिंचाई योजना अंतर्गत सुलिस गेट के अकार्यरत हो जाने के कारण सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही हो, अथवा कृषि उत्पादकता की वृद्धि हेतु मिट्टी परीक्षण की योजना हेतु मशीन क्रय की आवश्यकता हो तो इस प्रकार की योजना जिला नवाचार निधि से ली जा सकती है।

3.2 : योजनायें ऐसी ली जायें जिससे समाज के सभी वर्गों का सरकार तक पहुँच हो एवं जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने में सहायक हो सके।

3.3 : योजनाओं के चयन का आधार माँग आधारित होगा न कि आपूर्ति आधारित।

3.4 : योजना के चयन के क्रम में यह ध्यान दिया जायेगा कि चयनित योजना की राशि का व्यय सुनिश्चित हो एवं योजना अधूरी नहीं रहे।

3.5 : योजना के तहत यह आवश्यक है कि 10 प्रतिशत की राशि का योगदान जनसहयोग अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जायेगा, जिसे योजना की स्वीकृत के पहले वसूली कर एक अलग खाता खोलकर जमा कर ली जायेगी । इस प्रावधान के कार्यान्वयन में कठिनाई होने पर इसे शिथिल करने संबंधित कार्रवाई की जाएगी।

3.6 : इस योजना के तहत प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं को योजना के कार्यान्वयन से सम्बद्ध किया जा सकता है, परन्तु इसमें प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं को 10 प्रतिशत का योगदान करना होगा। प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं का तात्पर्य वैसी संस्थाओं से है जिन्हें जिनको तीन वर्ष का कार्य अनुभव हो, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कालीकृत सूची में शामिल न हो, जिनका औसत टर्नओभर 10 लाख रूपये से अधिक हो, जिनका अद्यतन अंकेक्षण हुआ हो एवं जिनका वार्षिक प्रतिवेदन अद्यतन हो।

3.7 : इस निधि का उपयोग निजी सम्पति के निर्माण या वाहन के क्रय के लिए नहीं किया जायेगा, बल्कि लोक सम्पदाओं के निर्माण के लिए ही निधि का उपयोग किया जा सकेगा।

3.8 : इस राशि का उपयोग अनुदान हेतु नहीं किया जायेगा।

योजना की स्वीकृति

4. योजनाओं की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है, जिसमें उप विकास आयुक्त इसके सदस्य एवं जिला योजना पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव होगें, जिनके द्वारा विभागीय मार्गदर्शन के अनुकूल योजनाओं का चयन एवं स्वीकृति जिले में उपलब्ध निधि के अनुरूप दी जायेगी। स्वीकृत योजनाओं की समेकित सूची की एक प्रति मात्र सूचनार्थ हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति

5. इस योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रदत्त शक्ति जो पत्रांक 1458 दिनांक 04.05.11 के द्वारा निर्गत हैं, लागू होगी।

कार्यान्वयन

6.1 : इस योजना का नोडल विभाग राज्य स्तर पर योजना एवं विकास विभाग होगा एवं जिला स्तर पर जिला योजना पदाधिकारी रहेगें।

6. 2 : इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला योजना पदाधिकारी होंगे।

अनुश्रवण

7.1 : चयनित योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। ली गयी योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 5 तारीख तक योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

7.2 : प्रत्येक जिला को परियोजना शुरू करने के पहले तथा परियोजना के पूरा होने के पश्चात् स्थिति को दर्शाने तथा संबंधित जिला के अर्थ व्यवस्था में सुधार लाने एवं इस कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए संगत दृश्य रिकार्डिंग (फोटो/विडियोग्राफी) कराया जायेगा जो योजना अभिलेखों के साथ संधारित होगी।

उपयोगिता प्रमाण पत्र

8. उपयोगिता प्रमाण पत्र पर योजनाओं की राशि के व्यय के संबंध में निर्धारित विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला योजना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे योजना एवं विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रथम किस्त की राशि के उपर्युक्त अन्त प्रयोग संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त की जायेगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.12.11

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो04/1-17/2010 4152 /यो0वि0,पटना, दिनांक 13 दिसम्बर,2011

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार /सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार एवं सभी सहायक योजना पदाधिकारी, बिहार कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.12.11
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो04/1-17/2010 4152 /यो0वि0,पटना, दिनांक 13 दिसम्बर,2011

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई-बजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई-बजट में प्रकाशनार्थ सी0डी0 एवं दो हॉर्ड कॉपी के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

13.12.11
प्रधान सचिव